

**Motion for election of one Member of Lok Sabha to the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Bhopal**

**THE MINISTER OF HEALTH AND FAMILY WELFARE AND MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI MANSUKH MANDAVIYA):** Sir, I beg to move the following:-

"That in pursuance of Section 4(9) read with Section 6(3) of the All India Institute of Medical Sciences Act, 1956, the members of this House do proceed to elect, in such manner as the Speaker may direct, one member from amongst themselves to serve as member of the All India Institute of Medical Sciences (AIIMS), Bhopal vice Shri Uday Pratap Singh resigned from Lok Sabha w.e.f. 6.12.2023 subject to the other provisions of the said Act."

माननीय अध्यक्ष : प्रश्न यह है:

"कि अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान अधिनियम, 1956 की धारा 6(3) के साथ पठित धारा 4(छ) के अनुसरण में, इस सभा के सदस्य, ऐसी रीति से, जैसा कि अध्यक्ष निदेश दें, उक्त अधिनियम के अन्य उपबंधों के अधधीन, श्री उदय प्रताप सिंह, जिन्होंने 6.12.2023 से लोक सभा की सदस्यता से त्यागपत्र दे दिया है, के स्थान पर अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स), भोपाल के सदस्य के रूप में कार्य करने के लिए अपने में से एक सदस्य निर्वाचित करें।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ

---

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कहां गए? पेपर लेड पूरा हो गया है, क्या अब वे नहीं बोलना चाहते हैं?

? (व्यवधान)

**12.13¼ hrs**

माननीय अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आज नियम 377 के अधीन मामलों को उठाने की अनुमति प्रदान की गई है।